न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4232–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–14 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, हरदा प्रकरण कमांक 24/अ–12/2013–14.

ओमप्रकाश पुत्र नारायण गुर्जर
निवासी ग्राम पलासनेर
तहसील हरदा जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

राजाराम पुत्र गिरधारी गुर्जर
निवासी ग्राम पलासनेर
तहसील हरदा जिला हरदा .....अनावेदक

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, एवं
श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, हरदा के समक्ष संहिता की धारा 129 के अंतर्गत उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम पलासनेर स्थित सर्वे कमांक 42/6 रकबा 1.113 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, हरदा द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–12/2013–14 दर्ज कर

दिनांक 30–6–14 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनांक 15–9–2016 को अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये । अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 एवं उसके तहत बने नियम अनुसार सीमांकन नियमों का पालन किये बगैर सीमांकन आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(2) संहिता की धारा 129 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देना कानूनन आवश्यक है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान के अनुसार आवेदक को कोई सूचना पत्र न देते हुए सीमांकन किया गया है ।

(3) नप्ती के समय मान्य सिद्धांत है कि चांदे के आधार पर ही नपती की जानी चाहिए, और आसपास की भूमियों की नप्ती करने पर ही चांदे का अवलोकन हो सकता है, किन्तु राजस्व पटवारियों द्वारा उक्त सिद्धांत का कोई पालन नहीं किया गया है, और पंचनामा में मौके पर नपती नहीं की गई है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) खसरा कमांक 42/1 रकबा 5.129 हेक्टेयर के भूमिस्वामी आवेदक के अतिरिक्त उसके भाई हरीशंकर एवं चन्द्रप्रकाश भी हैं, और सीमांकन प्रकरण में इन तीनों का अनावेदक राजाराम के स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 42/6 रकबा 1.113 में से 0.800 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा पाया गया था, और सीमांकन आदेश दिनांक 30–6–14 के विरूद्ध निगरानी केवल आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसके अन्य दो भाईयों द्वारा कोई निगरानी

प्रस्तुत नहीं की गई है । इससे इस धारणा की पुष्टि होती है कि उनके द्वारा अनावेदक के स्वत्व की 0.800 हेक्टेयर में उनके कब्जा किया गया है ।

(2) आवेदक द्वारा यह निगरानी 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब की माफी के लिए गलत तथ्य अंकित किया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही एकपक्षीय की गई है, जबकि दिनांक 30–5–14, 18–6–14 एवं 26–6–14 को सूचना पत्र जारी किये गये हैं, और ग्राम कोटवार द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि इन तीनों ने नोटिस लेने से इंकार किया है ।

(3) आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र दिनांक 19–12–14 में यह नहीं दर्शाया गया है कि वह इंदौर से पलासनेर कौनसी तारीख को आया, और उसे सीमांकन की जानकारी किसके द्वारा किस दिनांक को प्राप्त हुई एवं उसके दो अन्य भाई सीमांकन कार्यवाही के समय क्यों उपस्थित नहीं हुए थे । ऐसी स्थिति में विलम्ब का जो कारण दर्शाया गया है, वह सद्भाविक नहीं है । उक्त आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, और न ही विलम्ब के लिए उचित, प्रबल, स्पष्ट पर्याप्त, समाधानप्रद एवं विश्वासोत्पादक कारण दिया गया है ।

(4) आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में असत्य एवं मिथ्या कथन किया गया है कि सीमांकन की जानकारी अन्य पड़ोसी खातेदारों को नहीं दी गई है, क्योंकि प्रकरण में संलग्न सूचना पत्रों एवं पंचनामे से सिद्ध है कि सीमांकन दिनांक 26–6–14 की जानकारी पड़ोसी खातेदारों को दी गई है एवं सीमांकन पंचनामा में उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये गये हैं ।

(5) आवेदक का निगरानी का यह आधार गलत है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 129 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत सीमांकन आदेश नहीं किया गया है, क्योंकि अनावेदक द्वारा अपने स्वत्व की भूमि का विधिवत सुसंगत अभिलेखों एवं सीमांकन शुल्क के चालन के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेंड़ पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र तामील कराये जाकर उनकी उपस्थिति में सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख के मार्गदर्शन में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा टी.एस. एम. आपरेटर की सहायता से सीमांकन किया गया था । अतः अक्स, फील्डबुक एवं प्रतिवेदन के आधार राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश वैध आदेश है, अतः उसे यथावत रखकर निगरानी अवैध होकर निरस्ती योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 1992 आर.एन. 289 (उच्च न्यायालय), 2008 (II) एम.पी.डब्ल्यू. एन. 32 (उच्च न्यायालय) 1989 आर.एन. 243, 2000 आर.एन. 153, 1999 आर.एन. 366, 1995 आर.एन. 139,

5/ आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदक को तीन बार सूचना पत्र जारी किये गये हैं और उनके द्वारा लेने से इंकार किया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, हरदा द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30–6–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर